

प्रपत्र - 29

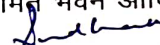
परियोजना का नाम:- इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा0 लि0 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (रुद्रपुर-किच्छा मार्ग की बायीं पटरी) के कि.मी. 221.150 (निकट महिंद्रा-महिंद्रा पलांट, लालपुर रुद्रपुर) से कि.मी. 227.200 (एच0पी0सी0एल पेट्रोल पम्प, होटल नीलकंठ के सामने, किच्छा बाईपास, किच्छा) कुल लम्बाई 6.05 कि.मी. एवं 0.3025 हे0 तक सड़क के किनारे पर ओपन ट्रेंच/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से बिना वृक्ष पातन के संरक्षित वन क्षेत्र में लम्बाई 5.480 कि.मी. एवं 0.2740 हे0 तथा आरक्षित वन क्षेत्र में लम्बाई 0.570 कि.मी. एवं 0.0285 हे0 में भूमिगत 8" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/Pipeline/148743/2021, dated 25/10/2021

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी के देखरेख में करायेगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छदित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी। - लागू नहीं है।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। - लागू नहीं है।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य परियोजना हेतु करने अथवा विभाग/संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस को जायेगी। वन भूमि तथा संयुक्त स्थान निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा इस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।


Sudhank Saxena
Asset Head
Udham Singh Nagar
Indian Oil-Adani Gas Pvt Ltd.

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय क्षेत्र) पौड़ी को सम्बन्धित पत्र सं० 698 सी० दि० 10.02.1982 में लिखित आदेशों का पालन लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। कि अपना मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेरबदल कराना आदि विभाग के खर्चे से प्रस्तावित होगा और नहई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।— लागू नहीं है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा। — लागू नहीं है।
13. वन भूमि पर खड़े व वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। — लागू नहीं है।
14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों का प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान को करना होगा। 1000 मी० से व 20 डिग्री से अधिक ढाल वन खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।— लागू नहीं है।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जाने में तथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों को कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है। — लागू नहीं है।
16. यदि नहर आदि का निर्माण में भूसंरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा। — लागू नहीं है।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

कृते इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा० लि०
Sudhank Saxena
 Asset Head
 Udham Singh Nagar
 Indian Oil-Adani Gas Pvt अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता